भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.03.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4579 का उत्तर

इज्जत पास की सुविधा

4579. श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में गरीबों को यात्री ट्रेनों में यात्रा के लिए दी जा रही 'इज्जत पास' सुविधा को जारी रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): जी नहीं। वैश्विक महामारी और कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टि से दिनांक 20.03.2020 से भारतीय रेल द्वारा दिव्यांगजनों हेतु केवल चार कोटियों, रोगियों और छात्रों की ग्यारह कोटियों में रियायतों को जारी रखा गया है। कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान सृजित कुल यात्री राजस्व में वर्ष 2019-2020 के पूर्व-कोविड अवधि की तुलना में कमी आई है। भारतीय रेल पर रियायतें प्रदान करने की लागत का काफी भार है, अतः इज्जत पास सुविधा सहित यात्रियों की सभी कोटियों हेतु रियायतें देने की सीमा को बढ़ाया जाना इस समय वांछनीय नहीं है।

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद, भारतीय रेल द्वारा दिव्यांगजनों की चार कोटियों, रोगियों और छात्रों की ग्यारह कोटियों को रियायतें प्रदान करना जारी रखा गया है।

****